

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1187 / 12-1
सेवा में,

नई टिहरी, दिनांक- 11/12/2020

अधिशाली अभियन्ता,
पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड-1,
लो0नि0वि0, नई टिहरी।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/38305/2019)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/52/2020/एफ0सी0/1650, दिनांक:-28-10-2020 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1430/FP/UK/ROAD/38305/2020, दिनांक:-17-11-2020।

महोदय,

जनपद-टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगा:-

- 1- शर्त सं0-01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थित नही बदली जाएगी।
- 2- शर्त सं0-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
- 3- शर्त सं0-03-प्रतिपूरक वनीकरण :-
क) प्रयोक्ता अभिकरण 3.636 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम-कोठार सिविल खसरा नं0-112, 2293, 2484, 112 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0-12,26,001.00 (बारह लाख छब्बीस हजार एक रूपये मात्र) जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-

प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि के मांग का आंकलन

- 1-प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र - 3.636 है0
- 2-वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर प्रति है0 - 337184.00
- 3-प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि की मांग- 3.636 है0 X 337184.00 = 12,26,001.024 या 12,26,001.00 (बारह लाख छब्बीस हजार एक रूपये मात्र)

ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत

क्रमशः - - 2 - -

विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र अमल-दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4- शर्त सं0-04-शुद्ध वर्तमान मूल्य:-

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक:-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक:-18-09-2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक:-03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु0-11,94,426.00 (ग्यारह लाख चौरानबे हजार चार सौ छब्बीस रुपये मात्र) की धनराशि 1.8180 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार है:-

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन

1-ईको-क्लास श्रेणी - V

2-हरियाली का घनत्व- 0.1

3-एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रुपये- 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)

4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 1.818 है0

5-कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-1.818है0X6,57,000.00=11,94,426.00

(ग्यारह लाख चौरानबे हजार चार सौ छब्बीस रुपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5- शर्त सं0-05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 39 Trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6- शर्त सं0-06 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

7- शर्त सं0-07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelinges para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

8- शर्त सं0-08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

9- शर्त सं0-09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारो पर पौधो की संख्या बढ़ाएगा।

क्रमशः -- 3 --

- 10- शर्त सं0-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।
- 11- शर्त सं0-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
- 12- शर्त सं0-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
- 13- शर्त सं0-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 14- शर्त सं0-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
- 15- शर्त सं0-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
- 16- शर्त सं0-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 17- शर्त सं0-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
- 18- शर्त सं0-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- 19- शर्त सं0-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक-29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
- 20- शर्त सं0-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 21- शर्त सं0-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
- 22- शर्त सं0-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23- शर्त सं0-23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की चजाएगी।

भवदीय,

~~प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी~~

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी